कार्यालय–मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)

पत्रांक : 600 /वाद सं0 आर–0277/एस–5/2024 दिनांक: 04/5/ 2024

हित्तबद्व व्यक्ति,
गढवाली कॉलोनी, किदूवाला,
देहरादून।

आपके द्वारा स्थल पर लगभग 50 गुणा 30 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर भवन निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एंव स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं0 आर–0277/एस–5/2024 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 19.03.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम,–2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर तामिल किया गया। किन्तु आपके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2024 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, इसी क्रम में विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 6331 दिनांक 28.03.24 के माध्यम से अनाधिकृत भवन को सील करने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 04.04.24 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 174 दिनांक 22.04.24 के माध्यम से अनाधिकृत भवन को सील करने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 25.04.24 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नही है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण मे सीलिंग कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

–आदेश–

अतः विपक्षी हित्तबद्व व्यक्ति, गढवाली कॉलोनी, किदूवाला, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर भूतल पर लगभग 50 गुणा 30 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर भवन निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत प्लॉटिंग को दिनांक 10-5-24 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।

अधिशासी अभियन्ता/पी0अधि0,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।